>

Title: Need to issue certificates to persons belonging to Other Backward Classes without any time validity.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से शून्य काल के दौरान एक बहुत लोक महत्व का मुद्दा उठाना चाहता हूं, आपने मुझे परमीशन दी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के छात्रों और नागरिकों को पिछड़ी जाति होने का प्रमाण पत्र जारी करने के प्रावधान भारत सरकार के निर्देशानुसार जारी किए गए हैं। लोकल स्तर पर जो तहसीलदार, एसडीएम होते हैं, कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये प्रमाण पत्र जारी करते हैं कि ये पिछड़ी जाति के हैं। लेकिन उसमें ये एक शर्त लगा देते हैं कि वह जो प्रमात्र पत्र है, उसका हर छ: माह में नवीनीकरण कराना पड़ेगा या नये सिरे से उसे जारी कराना पड़ेगा। इस शर्त के कारण कुछ विशेषकर अध्ययन करने वाले छात्रों को बड़ी समस्या पैदा होती है। यदि किसी छात्र का मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आई.आई.टी. में प्रवेश हो गया, लेकिन सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिलता है तो छात्र प्रवेश से वंचित हो जाता है और छात्र मानसिक पीड़ा के साथ जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। पिछड़ी जाति का आदमी अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और वह अपनी खेती के लिए किसी वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेना चाहता है और ऋण की पत्रावली के समय पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र लगाया जाता है, लेकिन ऋण स्वीकृत होते समय अगर छ: माह लग जाए तो वह प्रमाण पत्र पुन: बनाने के लिए बैंक अधिकारी कहते हैं, क्योंकि ऋण सैंक्शन हो जाता है और प्राधिकृत अधिकारी पुन: प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं व्यक्ति को ऋण नहीं मिलता है। ऐसा ही कई बार किसी अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हो जाता है, लेकिन प्रमाण पत्र पुराना होने के कारण उसकी फीस में वह छूट नहीं मिलती, जिसका वह हकदार होता है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को यह कहना है कि पिछड़ी जाति का आदमी तो पिछड़ा ही होता है, उसके सर्टिफिकेट की हर छ: माह में नवीनीकरण की क्यों शर्त लगा रखी है, ये शर्त हटाई जानी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है। मुझे लगता है कि इसमें और सदस्य भी सहमति प्रकट करेंगे।

MR. CHAIRMAN :

Shri P. L. Punia and

Shri Devji M. Patel are allowed to associate with the matter raised by Shri Arjun Meghwal.